मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28 / 05 / 2019

क्रमांक 1639 / 2653 / 2018 / 1 / 59 :: डॉ0एस.सी.खाम्बरा, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल को द्वितीय समयमान वेतनमान देने हेतु समयमान वेतनमान समिति की बैठक दिनांक 06.08.2018 द्वारा उनके वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पात्रता दिनांक 16.02.2007 के स्थान पर दिनांक 01.04.2010 से द्वितीय समयमान वेतनमान की अनुशंसा उपरांत विभागीय आदेश क्रमांक 2619 / 2653 / 2018 / 1 / 59, दिनांक 24.09.2018 जारी किया गया।

2/– डॉ0एस.सी.खाम्बरा, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला भोपाल के अनुपलब्ध वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान संबंधी विभागीय आदेश दिनांक 24.09.2018 को पुनरीक्षित करने हेतु दिनांक 20.02.2019 को समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डॉ0खाम्बरा के वर्ष 2002 से 2006 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक होने पर उन्हें दिनांक 16.02.2007 से द्वितीय समयमान वेतनमान उपयुक्त पाये जाने की अनुशंसा की गई।

3/– अतः राज्य शासन एतदद्वारा, डॉ0खाम्बरा के विचारण वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों एवं अपनाये गये मापदण्डों के आधार पर समिति द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक 2619 / 2653 / 2018 / 1 / 59, दिनांक 24.09.2018 द्वारा दिनांक 01.04.2010 से दिये गये द्वितीय समयमान वेतनमान संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए पात्रतानुसार दिनांक 16.02.2007 से द्वितीय उच्चतर समयमासन वेतनमान रूपये 15600–39100 ग्रेड पे 7600 स्वीकृत करता है।

4/– उपरोक्त समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन उपरांत ही देय होगा एवं पूर्व में दिये गये अधिक भुगतान की गई राशि की नियमानुसार वसूली, वेतनमान निर्धारण के समय की जावेगी।

5/– डॉ0खाम्बरा, अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.11.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके है तथा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
28/05/19
(अन्नू भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

क्रमांक 1640/2653/2018/1/59 भोपाल दिनांक 28 /05/2019

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आयुष विभाग भोपाल।

2– निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग भोपाल।

3– आयुक्त, आयुष संचालनालय भोपाल । (डॉ.खाम्बरा का गो0प्र0 फोल्डर मूलतः संलग्न है)

4– संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा भोपाल संभाग भोपाल।

5– संभागीय आयुष अधिकारी भोपाल संभाग भोपाल।

6– जिला आयुष अधिकारी जिला भोपाल की ओर उक्त आदेश की एक प्रति डॉ.खाम्बरा के वर्तमान पते पर तामील कराने हेतु।

7– कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल।

8– उप संचालक, संचालनालय आयुष की ओर उक्त आदेश विभागीय बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।

9– डॉ0एस.सी.खाम्बरा, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा–जिला आयुष अधिकारी जिला भोपाल ।

10– स्थापना लिपिक/आर्डर फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग